23.12.19

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर को जरिये नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./19/2325 दिनांक 12.12.2019 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जावे तथा अपील का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 23.12.2019 से पूर्व इस न्यायालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित किया जावें। इसके पश्चात् नोटिस का जवाब प्राप्त नही हुआ।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.10.2019 को लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर को सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/प्रेषित किया गया था। दिनांक 29.11.2019 तक भी प्रार्थी/अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नही कराने पर अप्रालार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 03.12.2019 को प्रस्तुत की गई। अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कराई जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर को नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा नियत तारीख पेशी तक ना तो इस न्यायालय को कोई जवाब भिजवाया है ना ही अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराने के संबंध में कारण सहित कोई जवाब प्रेषित किया गया है।

अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट ने उपस्थित होकर लिखित बहस पेश करते हुए कथन किया कि उसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, आमेर से वाद सं0 16/2010 सूरजमल बनाम भगवान सिंह व अन्य से संबंधित सूचना चाही गई थी। जिसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से पत्रांक कोर्ट/2019/563 दिनांक 26.11.2019 जारी किया गया, जो प्रार्थी को दिनांक 05.12.2019 को प्राप्त हुआ है। उपखण्ड अधिकारी कार्यालय द्वारा समय सीमा के बाद पत्र पोस्ट किया गया तथा जान–बूझकर समय सीमा की दिनांक पत्र में अंकित की गई है। प्रार्थी को सूचना दी गई है वह भ्रामक व गलत तथ्यों पर दी गई है। पत्रावली में सूचना होते हुए भी प्रश्नात्मक कहकर सूचना नही दी जा रही है। जबकि सूचना क्रमांक 2, 3, व 4 की सूचना पत्रावली में मौजूद है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रश्नात्मक एवं निष्कर्षात्मक प्रकृति की सूचना होने के कारण सूचना नही दी जा रही है। अतः सूचना निःशुल्क दिलवाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, आमेर से सूचना चाही गई है लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस न्यायालय को नियत तिथी तक बिन्दुवार जवाब/सूचना आदिनांक तक प्रस्तुत नही की गई है।

Scanned by CamScanner

...नाक आज्ञा ...ा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना यदि प्रश्नात्मक नही है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दी जा सकती है तो प्रार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जावें। इस हेतु लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेर, जिला जयपुर एवं प्रार्थी को पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। (डॉ. अशोक कुमार) प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अति. कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2020.02.07 17:13:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: